न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 13/2026

जीसीएमएस नम्बर :: 2026/116

| अपीलाण्ट्स :– | बनाम | रेस्पोडेण्ट :– |
|---|---|---|
| 1. भागीरथ पुत्र शम्भूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम नापावास, तहसील सोजत, जिला पाली (राज.)<br>2. विजेन्द्र कुमार पुत्र भवानीशंकर शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम निम्बलीउर्रा, तहसील पाली, जिला पाली (राज.) | | राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली। |

<u>राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :– अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के चौधरी
सरकारी पैरोकार

–:: <u>नि र्ण य</u> ::–

दिनांक :– 27.05.2026

अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्व मौजा ग्राम निम्बाड़ा, पटवार मण्डल भालेलाव, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेतावास, तहसील पाली जिला पाली के स्वतः स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 982 दिनांक 27.10.2025 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के चौधरी वक्त बहस उपस्थित हुए। सरकारी पैरोकार उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

जिला कलक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि सरहद मौजा राजस्व ग्राम निम्बाड़ा, पटवार हल्का भालेलाव, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेतावास, तहसील पाली जिला पाली की सरहद में स्थित खसरा संख्या 62 रकबा 0.2590 हैक्टेयर कृषि भूमि श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी बाबूलाल के खातेदारी की कब्जाशुदा आई हुई है। अपीलाण्ट संख्या 01 व अपीलाण्ट संख्या 02 ने दो अलग–अलग जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 27.10.2025 को क्रमशः खसरा संख्या 62 रकबा 0.1297 हैक्टेयर व खसरा संख्या 62 रकबा 0.1293 हैक्टेयर उक्त खातेदार से क्रय किया। उक्त दस्तावेज के विपरीत जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वतः स्वीकृत हुआ परन्तु अपीलाण्ट संख्या 01 व अपीलाण्ट संख्या 02 के नाम खसरा संख्या 62 के आधे–आधे हिस्से के स्थान पर अपीलाण्ट संख्या 01 के नाम ही खसरा संख्या 62 के सम्पूर्ण रकबा 0.2590 हैक्टेयर दर्ज हो गया, जो विधि विरूद्ध है। अतः जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमावे।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

अपीलाण्ट की बहस सुनी गई। श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि जैर प्रकरण में अधिवक्ता अपीलाण्ट का मुख्य उज्र यह है कि सरहद मौजा राजस्व ग्राम निम्बाड़ा, पटवार हल्का भालेलाव, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेतावास तहसील पाली में स्थित खसरा संख्या 62, रकबा 0.2590 हैक्टेयर कृषि भूमि खातेदार पुष्पादेवी पत्नी बाबूलाल की खातेदारी एवं कब्जाशुदा भूमि है। अपीलाण्ट संख्या 01 एवं अपीलाण्ट संख्या 02 द्वारा पृथक–पृथक पंजीबद्ध विक्रय–विलेख दिनांक 27.10.2025 द्वारा खसरा संख्या 62 में से क्रमशः रकबा 0.1297 हैक्टेयर एवं रकबा 0.1293 हैक्टेयर भूमि क्रय की गई। प्रस्तुत विक्रय–विलेखों के आधार पर नामान्तरकरण कार्रवाई स्वतः स्वीकृत की गई, किन्तु जैर नामान्तरकरण में अपीलाण्ट संख्या 01 एवं अपीलाण्ट संख्या 02 के नाम आधा–आधा हिस्सा दर्ज किये जाने के

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

स्थान पर जैर नामान्तरकरण में खसरा संख्या 62 का सम्पूर्ण रकबा 0.2590 हैक्टेयर भूमि केवल अपीलाण्ट संख्या 01 के नाम स्वतः दर्ज हो गई, जो विधि विरूद्ध होने से जैर नामान्तरकरण काबिले खारिज है।

समायतशुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध हस्ब पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 27.10.2025 का गहनतापूर्वक अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दोनों अपीलाण्ट्स द्वारा पृथक–पृथक पंजीबद्ध विक्रय–विलेख दिनांक 27.10.2025 के आधार पर जैर आराजी संख्या 62 के सम्पूर्ण रकबे का आधा–आधा हिस्सा क्रय किया गया है परन्तु जैर नामान्तरकरण में रकबा संख्या 62 का सम्पूर्ण रकबा मात्र अपीलाण्ट संख्या 01 के दर्ज हो गया, जो कि प्रथम–दृष्ट्या त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील–अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 982 दिनांक 27.10.2025 को अपास्त किया जाता है तथा जैर प्रकरण तहसीलदार, पाली को प्रति–प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलाण्ट संख्या 01 व 02 के पक्ष में किये गये हस्ब पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 27.10.2025 की विधिवत जांच कर नियमानुसार नव–सरे निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक **27.05.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)